

मै0 मॉडल एकिजम (इण्डिया) प्रा0लि0 द्वारा गाटा संख्या— 1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम—बन्थर, परगना—हड्हा, तहसील व जनपद—उन्नाव पर टैनरी इकाई (लेदर उत्पादन हेतु) की स्थापना किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2019 को उद्योग के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या— 1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम—बन्थर, परगना—हड्हा, तहसील व जनपद—उन्नाव पर सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 मॉडल एकिजम (इण्डिया) प्रा0लि0 द्वारा गाटा संख्या— 1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम—बन्थर, परगना—हड्हा, तहसील व जनपद—उन्नाव पर टैनरी इकाई (लेदर उत्पादन हेतु) की स्थापना किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त उद्योग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के तहत लोक सुनवाई जिलाधिकारी, उन्नाव की अध्यक्षता में उद्योग के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या—1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम—बन्थर, परगना—हड्हा, तहसील व जनपद—उन्नाव पर दिनांक 03.05.2019 को दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ हुयी। लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी।

1. सर्वप्रथम राजेन्द्र प्रसाद, सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव द्वारा लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार टैनरी इकाई (लेदर उत्पादन हेतु) की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सुनवाई प्रक्रिया के अन्तर्गत आच्छादित है।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव द्वारा दिनांक 30.03.2019 एवं दिनांक 31.03.2019 को दैनिक समाचार पत्रों कमशः हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में विज्ञाप्ति प्रकाशित करायी गयी थी तथा आक्षेप/सुझाव/आपत्ति विज्ञाप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किए गये थे। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है।
3. लोक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुये परियोजना प्रस्तावक मै0 मॉडल एकिजम (इण्डिया) प्रा0लि0, उन्नाव के सलाहकार मै0 इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (डिपार्टमेन्ट आफ केमिकल इंजीनियरिंग) रुडकी, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि डा0 शिशिर सिन्हा द्वारा उक्त उद्योग सम्बन्धी प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित उद्योग को गाटा संख्या— 1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम—बन्थर, परगना—हड्हा, तहसील व जनपद—उन्नाव पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। उद्योग द्वारा फिनिशड लेदर—1750 हाइड/दिन (35 टन/दिन) का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित टैनरी इकाई के सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाना प्रस्तावित है तथा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र

स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र के माध्यम से प्रदूषण मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर उत्प्रवाह का आंशिक भाग औद्योगिक प्रक्रिया, उद्योग परिसर के अंदर सिंचाई एवं वाशिंग में प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष भाग को सिटी जेल ड्रेन में निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

5. उद्योग के सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में वायु प्रदूषणकारी स्रोतों पर उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिससे कि आस-पास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. उद्योग से जनित खतरनाक अपशिष्ट को उद्योग परिसर के अंदर सुरक्षित स्थल पर अस्थायी भण्डारण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। खतरनाक अपशिष्ट को किसी भी दशा में उद्योग परिसर के बाहर अथवा अंदर जमीन पर निस्तारित नहीं किया जायेगा, जिससे मृदा प्रदूषण नगण्य होगा। खतरनाक अपशिष्ट का निस्तारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. लोक सुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक मै0 मॉडल एकिजम (इण्डिया) प्रा०लि०, उन्नाव के सलाहकार मै0 इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (डिपार्टमेन्ट आफ केमिकल इंजीनियरिंग) रुडकी, उत्तराखण्ड के दूसरे प्रतिनिधि डा० प्रमोद कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त उद्योग की स्थापना के पश्चात आस-पास के क्षेत्र के भूमि के मूल्य में वृद्धि होना, लोगों को रोजगार उपलब्ध होना, उद्योग के स्थापना से सीधे तौर पर लगभग 800 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा एवं उक्त से तीन गुना लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। एक्सपोर्ट इकाई होने के कारण उद्योग की स्थापना से देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित उद्योग में पारिस्थितिकी पर्यावरण के बचाव हेतु चारों तरफ हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। जिससे प्रस्तावित उद्योग से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अन्त में मै0 मॉडल एकिजम (इण्डिया) प्रा०लि० गाटा संख्या— 1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम-बच्चर, परगना-हड्डा, तहसील व जनपद—उन्नाव के प्रतिनिधियों द्वारा लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा उक्त उद्योग की स्थापना से आस-पास के विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के ऊपर पड़ने वाले अधिप्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों/समस्याओं के निराकरण हेतु परियोजना में प्रस्तावित व्यवस्थाओं इत्यादि के बारे में उत्तर दिया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:—

प्रश्न 1: क्या उद्योग में गाँव वालों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा ?

(श्री मोतीलाल, निवासी लाऊखेड़ा)।

उत्तर प्रस्तावित उद्योग में योग्यता के अनुसार निकटतम ग्रामवासियों/स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया।

प्रश्न 2: क्या उद्योग की स्थापना से प्रदूषण होने की सम्भावना होती है? ग्रामवासियों को प्रदूषण नहीं चाहिये।

(श्री सुशील कुमार, निवासी लाऊखेड़ा)।

उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से जनित जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के अनुरूप उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों से जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय-समय पर

(3)

आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते हैं एवं उद्योगों से जनित प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में संचालित उद्योगों में ऑन लाइन मॉनीटरिंग व्यवस्था भी स्थापित है, जिसका एसएमएस अलर्ट हमारे पास भी आता है। उद्योग से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होने दिया जायेगा, जिससे कि ग्रामवासियों को परेशानी हो।

सुझाव 1:- प्रस्तावित उद्योग की स्थापना हेतु भवन निर्माण के साथ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाये। उद्योग स्थापना एवं संचालन में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाये। स्वच्छता एवं ग्रीनरी (ग्रीन बेल्ट) स्थापित किया जाये।

(श्री विन्धेश्वर, पूर्व प्रधान, ग्राम-बन्थर, उन्नाव)

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि सी0एस0आर0 के मानक निर्धारित है, जिसमें प्रस्तावित उद्योग छोटा होने के कारण आच्छादित नहीं होगा, फिर भी उद्योग प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि सी0एस0आर0 हेतु धनराशि निर्धारित की जाये। उपजिलाधिकारी, उन्नाव को भी निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित उद्योग के उक्त धनराशि से उद्योग के सभीप स्थित तालाबों को गोद लेकर उसे विकसित किया जाये, जिससे कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की उपयुक्त व्यवस्था हो सके। उक्त के अतिरिक्त तालाब के किनारे संघन वृक्षारोपण कराया जायेगा तथा अपेक्षित ग्रोग्यता के अनुसार यथासंभव निकटतम ग्रामवासियों/स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु भी परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया।

सुझाव 2:- बन्थर से सिटी जेल ड्रेन तक आने वाले नाले के किनारे फेन्सिंग नहीं होने के कारण जानवर नाले में गिर जाते हैं। नाल के किनारे फेन्सिंग कराया जाये, जिससे कि जानवरों की गिरने की कोई घटना न हो।

(श्री विन्धेश्वर, पूर्व प्रधान, ग्राम-बन्थर, उन्नाव)

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि नाले के किनारे फेन्सिंग कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाता है। नाले की लम्बाई लगभग 400 मीटर है। नाले की सफाई कुछ समय पूर्व सिंचाई विभाग से करायी गयी थी। पुनः नाले की सफाई करायी जायेगी। जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस लोक सुनवाई के अतिरिक्त गाँव में उपस्थित होकर अलग से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जायेगा तथा निराकरण की यथा संभव कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव की अनुमति से सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव द्वारा उपस्थित जन समूह के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव

(विकास मिश्र)
सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, उन्नाव

मैं 10 मॉडल एकिजम (इण्डिया) प्राइली 0 द्वारा गाटा संख्या—1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम—बन्थर, परगना—हड्हा, तहसील व जनपद—उन्नाव पर टैनरी इकाई (लेदर उत्पादन हेतु) की स्थापना हेतु दिये गये प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2019 समय दोपहर 12:00 बजे को स्थल—गाटा संख्या—1698, 1726, 1729, 1735, 1736 एवं 1739, ग्राम—बन्थर, परगना—हड्हा, तहसील व जनपद—उन्नाव पर आहूत लोक सुनवाई की उपस्थिति।

क्रमांक	नाम एवं पद	पता	हस्ताक्षर
1	राजीनाना दीकाटी 3-गाव	-	
2	विकास शर्मा ALP	3040 पहाड़ 210 गाव	
3	प्रतीक प्रसाद एम्स	प्रदेश	
4	तेजप कुमार CT	प्रदेश	
5.	ZAID ALAM	MOELEXIMES PVT LTD	
6.	Framod Kumar	119 Roorkee	
7	श्रीमिती रिता	गोपीर सेक्टर 2	
8	DR Ashutosh Tandon	IES, KANPUR	
9	TANVEER ANWAR	Jafarnagar Kanpur	
10	Amit Kumar Yadav	Banther - Unnao	
11	कुमार कुमार	बन्थर 2-गाव	कुमार
12	Anand Kumar	G-12 3-गाव	
13	Dileep Kumar	Bamdar - Unnao	Dileep
14	अभिषेख कुमार	चित्तापुर उन्नाव	अभिषेख
15	Deepak	बोपर 3-गाव	
16	राजीत	बोपर 3-गाव	
17	श्रीलक्ष्मी	सराहनी गाव	लक्ष्मी
18	प्रिया देवी	9-ए 2-गाव	प्रिया

19	गीर्जेरी	लाठीवडे ३००५	गीर्जेरी
20	मोठीतात	माटीवडे १०५२ उताव मोठीतात	
21	Shri Rushan Kusumah Muluk Garan Post Budy	लाठीवडे ३००५	
22	Dr Bindoj Swaraj Yada	Village and Post Banthe	Bindo
23	वावामुखपाप	लाठीवडे ९०५	वावामुखपाप
24	अद्वौल	लाठीवडे ९०५	अद्वौल
25	२१५	लाठीवडे ३००५७९०८	२१५
26	मोळा	"	मोळा
27	राजेश चाहल	थांडवीसर उताव उताव	राजेश चाहल
28	छापवाई	"	छापवाई
29	अंगनल	३११२१६-९७२	अंगनल
30	धारियाल	माटीवडे	धारियाल
31	गुरु	कुरु	गुरु
32	दुर्गा लाल	कुरु एवा	दुर्गा लाल
33	सुवील	कुरु	सुवील
34	प्रभु लाल	कुरु	प्रभु लाल
35	मुमुक्षु	३११८१०८९११२	मुमुक्षु
36	ओर्डे	कोर्डे एवा,	ओर्डे
37	रुदी	माटीवडे	रुदी
38	Reed	कुरु	Reed
39	राजकुमार	३११८१०८९११२	राजकुमार
40	मोठमादावा	उताव १०१२-१०१२	मोठमादावा

41	माला देवी गवर्नर	31/07/19 - 6/08/19 (14 दिन)	प्रभारी
42	मामूला प्रबन्ध	"	प्रभारी
43	निषेध	"	प्रभारी
44	राजकीय	31/07/19 - 6/08/19 (14 दिन)	प्रभारी
45	प्रभारी गवर्नर	प्रभारी गवर्नर	प्रभारी
46	संसदीय गवर्नर	31/07/19 - 6/08/19 (14 दिन)	प्रभारी
47	प्रभारी गवर्नर	प्रभारी गवर्नर	प्रभारी
48	गोपनीय गवर्नर	गोपनीय गवर्नर	प्रभारी
49	अधिकारी गवर्नर	गोपनीय गवर्नर	A. Gouverneur
50	गोपनीय गवर्नर	गोपनीय गवर्नर	गोपनीय गवर्नर
51	गोपनीय गवर्नर	गोपनीय गवर्नर	गोपनीय गवर्नर
52	माला देवी	गोपनीय गवर्नर	गोपनीय गवर्नर
53	सियाराम	राजनीतिक गवर्नर	राजनीतिक गवर्नर
54	श्री श्री गवर्नर	श्री गवर्नर	श्री गवर्नर
55	श्री गवर्नर	श्री गवर्नर	श्री गवर्नर
56	मोहन गवर्नर	मोहन गवर्नर	मोहन गवर्नर
57	गोपनीय	गोपनीय गवर्नर	गोपनीय गवर्नर
58	राजनीतिक गवर्नर	राजनीतिक गवर्नर	राजनीतिक गवर्नर
59	अवधि गवर्नर	अवधि गवर्नर	अवधि गवर्नर
60	मनोज गवर्नर	मनोज गवर्नर	मनोज गवर्नर
61	दिलीप	दिलीप गवर्नर	दिलीप गवर्नर
62	सुरेन	सुरेन गवर्नर	सुरेन गवर्नर
63	जय गवर्नर	जय गवर्नर	जय गवर्नर